शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1259 / 79–वि0–1–20–33 / 2013

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग,
मान्यवर श्री काँशीराम जी ईको गार्डन,
जनसुविधा परिसर, प्रशासनिक भवन, बी–ब्लाक,
लखनऊ –226005

विधायी अनुभाग–1 लखनऊःदिनांकः 13 अगस्त, 2020

विषयः–वर्तमान सातवें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय को अनुमन्य वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के ओदश संख्या–53 / 79–वि–1–2014–33 / 2013, दिनांक 20 जनवरी, 2014 के प्रस्तर–2 के उपप्रस्तर–(झ) में विहित व्यवस्था के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान सातवें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय को निम्नानुसार वेतन, भत्ते व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में वह नियत राशि अनुमन्य होगी जो उनके द्वारा अंतरिम आहरित वेतन रू0 83,785 में से राशिकरण के पूर्व शुद्ध पेंशन – रू0 41,893 को घटाते हुए प्राप्त हो अथवा पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम, दोनों में से जो कम हो। विधि आयोग में पुनर्योजन के दौरान श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय को उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन एवं पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान देय नहीं होगा।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय को छठे वेतन आयोग के वेतनमान रू0 67,000–79,000 में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी के समतुल्य निम्नलिखित अन्य भत्तें व सुविधायें अनुमन्य होगी :–

(क) आवास सुविधा
(ख) यात्रा भत्ता
(ग) दैनिक भत्ता
(घ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा ।
(ङ) दूरभाष सुविधा– कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष की सुविधा प्रतिपूर्ति के अधाार पर रू0 2000 की अधिकतम सीमा के अधीन द्विमासिक आधार पर अनुमन्य होगी।

(च) वाहन सुविधा- कार्यरत अवधि तक मारूति सियाज वाहन की सुविधा 2500 कि0मी0 प्रतिमाह के अनुबन्ध पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुमन्य होगी।

(छ) अवकाश सुविधा-आकस्मिक अवकाश एवं उपार्जित अवकाश सुविधा।

(3) उनकी यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिए आयोग के मा0 अध्यक्ष नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

2- उक्त आदेश श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय द्वारा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 से लागू माना जायेगा।

3- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-206 यू0ओ0/दस-2020, दिनांकः 13 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह-II)
प्रमुख सचिव

संख्या-1259 (1)/79-वि-1-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ ।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ।
6- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल),कचेहरी रोड, प्रयागराज।
10- श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय, पूर्णकालिक सदस्य, उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
12- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
13- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/3
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
15- न्याय अनुभाग-9(बजट)/न्याय अनुभाग-8(लेखा)
16- गोपन अनुभाग-1
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।